

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग / राँची / मेदिनीनगर / यों
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची।

राँची, दिनांक 30.08.22

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 49S27010300106 अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक से प्राप्त राशि एवं प्राप्त अधियाचनाओं के आधार पर 11 अदद कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रु 170.617 लाख (रुपए एक करोड़ सत्तर लाख एकसठ हजार सात सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना	170.617

कुल आवंटित राशि - रु एक करोड़ सत्तर लाख एकसठ हजार सात सौ मात्र।

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक आगणन में आगणित राशि के उपरान्त संशोधित बजट उपबंध 7604.40 लाख (छिहत्तर करोड़ चार लाख चालीस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
- सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी वित्त विभाग झारखण्ड सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव(अभि०)(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव(अभि०)

9. 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतन, 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-15/2013-14/170/बजट दिनांक-01.04.2014 एवं पत्रांक-26/बी०एस०जी०-01/2014/488/बजट दिनांक-18.12.2014 के आलोक में किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरान्त ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. झारखण्ड वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2023 से पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनु. :- यथोक्त


 (प्रशांत कुमार)
 सचिव

ज्ञापांक :- 109

राँची, दिनांक :- 30.08.22

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/मेदिनीनगर/ हजारीबाग/चाईबासा/गढ़वा/ पलामु/गिरिडीह/लतेहार सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु. :- यथोक्त


 (प्रशांत कुमार)
 सचिव

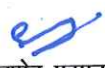
ज्ञापांक :- 109

राँची, दिनांक :- 30.08.22

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/अधीक्षक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल-2, राँची को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु. :- यथोक्त


 (श्वेता कुमारी)
 सहायक अभियंता


 (राजेन्द्र प्रसाद)
 उप सचिव(अभि०)


 (श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
 संयुक्त सचिव(अभि०)


 (प्रशांत कुमार)
 सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना

पत्रांक 109 दिनांक 30.08.22 का अनुलग्नक

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2022-2023	वित्तुल शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	वित्तुल शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										वित्तुल शीर्ष-04-मोटरगाहिया		वित्तुल शीर्ष-07-अन्य व्यय		कुल योग	अभियुक्ति
			वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वक़ाया	एलटी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	सहायक	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	इंधन एवं मरम्मत	विधि प्रसार			
1	ओरंगा निर्माण प्रमंडल, पांकी पलामू	विपत्र कोड	49S270103001	49S270103001	49S270103001	49S270103001	49S270103001	49S270103001	49S270103001	49S270103001	49S270103001	49S270103001	49S270103001	49S270103001	49S270103001	49S270103001	17	18
1	प्रमंडल, पांकी पलामू	विपत्र कोड	06000101	06000110	06000112	06000213	06000315	06000316	06000323	06000329	06000333	06000334	06000337	06000442	06000760			
2	कोनार नहर प्रमंडल, बमोदर	विपत्र कोड	148.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	148.600		
3	गुण निवृत्त प्रमंडल, मेदिनीनगर	विपत्र कोड	47.000	0.000	0.000	1.000	0.450	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.300	49.450		
4	जलपथ प्रमंडल, चार्डवासा	विपत्र कोड	195.000	0.000	0.000	1.000	0.700	0.000	0.200	0.000	0.050	0.000	0.000	0.800	0.300	198.050		
5	जलपथ प्रमंडल, बरही	विपत्र कोड	158.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.100	0.300	0.100	160.000		
6	जलपथ प्रमंडल, रौबी	विपत्र कोड	158.000	0.000	0.000	0.600	0.500	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.100	0.600	0.300	160.550		
7	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	विपत्र कोड	100.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.200	102.150		
8	पुनर्वास पराग उप काल परियोजना, मेदिनीनगर	विपत्र कोड	467.400	0.000	0.200	0.500	0.250	0.000	0.100	1.552	0.100	0.000	0.500	0.500	0.200	470.050		
			100.000	0.000	0.100	0.200	0.550	0.000	0.100	0.000	0.100	0.000	0.100	0.800	0.200	4.002		
			467.400	0.000	0.400	1.000	0.800	0.000	0.300	1.552	0.200	0.000	1.000	0.900	0.400	345.850		
			344.000	0.000	0.000	0.500	0.250	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.200	347.700		
			404.000	0.000	0.000	0.600	0.250	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.900	0.000	404.900		
			404.000	0.000	0.000	0.600	0.400	0.000	0.200	2.047	0.100	0.000	0.000	0.000	0.300	407.947		
			252.000	0.000	0.000	1.300	0.550	0.000	0.100	0.000	0.100	0.000	0.000	0.700	0.200	254.950		
			252.000	0.000	0.000	0.540	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	255.890		
			252.000	0.000	0.000	1.840	0.750	0.000	0.100	0.000	0.100	0.000	0.000	0.900	0.000	108.300		
			108.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	108.300		
			108.000	0.000	0.000	0.100	0.250	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.200	0.800		
			108.000	0.000	0.000	0.100	0.500	0.000	0.200	0.000	0.050	0.000	0.050	0.000	0.200	109.100		

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(राजेश्वर प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2022-2023	विरस्त शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तों	विरस्त शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय												विरस्त शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ	विरस्त शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में		
			देतन	15.11.2000 के पूर्व का वक्राग	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	व्यवसायिक सेवा	दूरभाष	बर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियाँ मरम्मत			विविध प्रभार	कुल योग	अभिव्यक्ति
	कार्यालय का नाम																		
	विपत्र कोड	48S270103001 06000101	48S270103001 06000110	48S270103001 06000112	48S270103001 06000213	48S270103001 06000315	48S270103001 06000316	48S270103001 06000323	48S270103001 06000329	48S270103001 06000333	48S270103001 06000334	48S270103001 06000337	48S270103001 06000442	48S270103001 06000760					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
9	यात्रिक प्रमंडल, बनासो हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	164.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.500	0.250	102.000			
	अतिरिक्त आवंटन	100.000	0.000	0.000	0.600	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.250	0.500	0.250	266.550			
	अवशेष आवंटन	264.000	0.000	0.000	0.600	0.550	0.000	0.000	0.100	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	215.300			
10	रूपकण प्रमंडल सं.-2, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	215.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.200	0.000	0.100	0.000	0.100	0.000	0.400	1.550			
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.500	0.250	0.000	0.000	0.200	0.000	0.150	0.000	0.100	0.000	0.400	216.850			
	अवशेष आवंटन	215.000	0.000	0.000	0.500	0.500	0.000	0.000	0.100	0.000	0.050	0.000	0.000	0.600	0.000	173.500			
11	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, मंडल, (लातेहार) शिविर मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	172.000	0.000	0.000	0.200	0.550	0.000	0.000	3.928	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.928	*		
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	3.928	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	177.428			
	कुल आवंटन	172.000	0.000	0.000	0.200	0.550	0.000	0.000	0.100	7.527	0.400	0.000	1.100	3.000	2.550	170.617			
	अतिरिक्त आवंटन का योग	147.000	0.000	0.300	4.540	2.900	0.000	1.300	7.527	0.400	0.000	1.100	3.000	2.550	170.617				

नोट: व्यवसायिक सेवा मद् में राशि का आवंटन विभागीय निदेश के आलोक में outsourcing द्वारा रखे गये कम्प्यूटर ऑपरेटरों के भुगतान के लिए है। इस राशि का व्यय अन्य मदों में न किया जाय।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपए एक करोड़ सत्तर लाख एकसठ हजार सात सौ मात्र।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव(अभि०)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव(अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव